लय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई0ए0एस0
मा नम्बरः— 199/2016 प्रार्थना पत्र

मनोहरलाल मानसिंहका जरिये मनोहर लाल पिता छगनलाल मानसिंहका, उम्र
ा निवासी स्वामी दयानन्द मार्ग, भोपालगंज— भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
थान)

——————प्रार्थी

बनाम

जस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
जस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा तहसील व
ला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131—136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

थतः—

जयकुमार जैन,	—	एडवोकेट—प्रार्थी
यब तहसीलदार, भीलवाड़ा	—	पेरोकार सरकार—विपक्षीगण

:: नि र्ण य :: दिनांकः—29.3.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र ित धारा 131—136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत निवेदन किया है कि प्रार्थी फर्म मैसेर्स मनोहरलाल मानसिंहका के नाम वर्तमान दी सम्वत् 2072 से 2075 से लीज 99 वर्ष के लिये ग्राम भीलवाड़ा पटवार हल्कार ाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में खसरा नम्बर 2769 रकबा 5 बिस्वा 32) बीघा बिस्वा हैक्टयर खसरा नम्बर 2770 रकबा 0.02 (0.0253) गै0मु0 कुआ बिस्वा, खसरा संख्या 3764/2768 रकबा 0.0804(0.1037) उधोग कुल किता 3 0.15—04 (01922) बीघा बिस्वा (हैक्टयर) स्थित होकर प्रार्थी के उपयोग—उपभोग ली आ रही हैं। जिसके सम्पूर्ण हक अधिकार एक मात्र प्रार्थी में निहित हैं। उक्त आराजियात का लगान राज्य सरकार में प्रार्थी जमा कराता आ रहा हैं। उक्त आराजियात को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजियात को आगे प्रार्थना पत्र में स्त आराजियात से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त वर्णित आराजी संख्या 2770 0.02 (0.0253) गै0मु0कुआ बीघा बिस्वा (हैक्टयर) र्निविवादित एवं आराजी चाह से इसके संबंध में किसी प्रकार की चाराजोही नहीं चायी गयी हैं। वादग्रस्त जियात की गत रोटेशन जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 के अनुसार प्रार्थी ने जरिये हस्तान्तरण से दिनांक 6.12.2012 को आराजी संख्या 2768/1 के जरिये रकबा 0. 6 उधोग एवं इसी प्रकार आराजी संख्या 2769/1 रकबा 0.05 बारानी प्रथम मेवाड़ पाईप इण्डस्ट्रीज के बजाय मैसेर्स संभव कार्टस प्राईवेट लिमिटेड़ पुर रोड, भीलवाड़ा नाम हस्तान्तरित कर दी हैं। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी संख्या 2769 तथा /2768 ही रही हैं। जिसके रकबे का उल्लेख प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में हैं। इस प्रकार वादग्रस्त अवशेष भूमि की सड़क की तरफ लम्बाई 160 फीट तथा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

/गहराई 200 फीट रही हैं। प्रार्थी फर्म में आराजी संख्या 2768 व 2769 में दिनांक 005 को नगर परिषद, भीलवाड़ा से विधिवत् 975 वर्ग गज भूमि को औद्योगिक से य भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आदेश प्राप्त किया। जिसकी शाश्वत लीज दिनांक 005 को प्रार्थी एवं नगर परिषद भीलवाड़ा को निष्पादित की गयी । जिसके र उक्त औद्योगिक भूमि को आवास में रूपान्तरित किया गया। उक्त आवासीय रण के बाद प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के कलम नम्बर 1 में वर्णित सम्पूर्ण वादग्रस्त यात औद्योगिक एवं आवासीयात में राजस्व रेकार्ड में की जानी चाहिये थी। परन्तु 1 व 2 अधीनस्थ कर्मचारियों की लिपिकीय भूल के कारण से आराजी संख्या 2769 5 बीघा को आवासीय एवं औद्योगिक में मौका स्थिति अनुसार दर्ज करने के बजाय मात्र बाराजी प्रथम अर्थात इन नम्बर के आराजी को कृषिभूमि ही दर्ज कर दिया उक्त त्रुटि आज दिनांक तक चली आ रही हैं। इसी प्रकार नक्शें में भी औद्योगिक वासीय भूमि पृथक–पृथक आवासीय एवं औद्योगिक दर्ज होनी चाहिये थी। परन्तु गण के अधीनस्थ कर्मचारियों ने वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में किसी भी प्रकार से औद्योगिक एवं आवासीय भूमि को तरमीम नहीं किया हैं। जबकि प्रार्थी लगातार गण के यहॉ राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शें में अपनी आवासीय व औद्योगिक ो अलग अलग रूप से मौके के अनुसार तरमीम करने के लिये मौखिक रूप से करता रहा हैं। इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा लीज स्थानान्तरण मैसेर्स संभव कार्टस लिमिटेड़ पुर रोड भीलवाड़ा को हस्तान्तरित किये गये नपती 0.0816 रकबा को स्व नक्शें में सही तरमीम कराने बाबत निवेदन किया गया । परन्तु समस्या का ण नहीं होने से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष जरिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा । इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी नम्बर 3764/2768 रकबा 0.08.04 को सम्पूर्ण उधोग में दर्शा रखा है जबकि औद्योगिक एवं आवासीय सम्परिवर्तित आराजी नम्बर की भॉति 2768 में सुयक्त रूप से हुआ हैं। अतः मौका स्थिति अनुसार उधोग के साथ उक्त आराजी की किस्म भी आवासीय दर्ज योग्य हैं। सारांश रूप से इस ी में मौका स्थिति अनुसार उधोग का रकबा पृथक तथा आवासीय भूमि का रकबा जमाबंदी में अंकित होकर तद्नुसार राजस्व नक्शें में तरमीम किया जाना न्यायोचित उक्त प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति का है इस कारण से विपक्षीगण के विरूद्व पत्र पेश करने से पूर्व छूट दिये जाने बाबत धारा 80(2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र से पेश किया जा रहा हैं। वादग्रस्त आराजियात ग्राम भीलवाड़ा तहसील व जिला ड़ा में स्थित होने से प्रार्थना पत्र क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में समायित होने हैं। इस प्रकार सारांश रूप से राजस्व अभिलेख यथा जमाबंदी एवं राजस्व नक्शें में की अशुद्व किस्म एवं अशुद्व तरमीम को उपरोक्तानुसार शुद्व कराये जाने हेतु लय श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी न्यायालय से निम्नानुसार चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात की अंकित किस्म को शुद्व करवाया जाकर पृथक–पृथक औद्योगिक एवं आवासीय राजस्व अभिलेख जमाबंदी एवं राजस्व नक्शें में शुद्व तरमीम मौका स्थिति अनुसार जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

जरिये वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 2.11.2016 को पंजीबद्व किया सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया । विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत करने बाबत अवसर चाहा गया। विपक्षीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने 6.3.2018 को जवाब प्रस्तुत कथन किया है कि ग्राम एवं पटवार मंडल तथा व जिला भीलवाड़ा स्थित वादग्रस्त आराजी मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2072 से जो कि पैरा एक में उल्लेखित है प्रार्थी मनोहरलाल मानसिंहका के नाम दर्ज रेकार्ड मौके पर भी कब्जा प्रार्थी का होना रिपोर्ट पटवारी अनुसार सही हैं।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र, की नकल सम्वत् 2072 से 2075 की नकल, नक्शा ट्रेस की नकल, जिला महोदय, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 22.12.2003 की फोटो प्रति, नगर परिषद , द्वारा लीज राशि आवासीय रूपान्तरण की फोटो प्रति, नगर परिषद , भीलवाड़ा राशि जमा कराई गयी रसीदों की फोटो प्रतियॉ प्रस्तुत की। जिसे शामिल पत्रावली गये। वकील प्रार्थी द्वारा और कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण दस्तावेज करने का अवसर समाप्त किया गया।

वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार र्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

जबकि पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में खण्डन में प्रस्तुत जवाब आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर किया गया। विवादित आराजियात ग्राम भीलवाड़ा पटवार हल्का भीलवाड़ा तहसील ला भीलवाड़ा में खसरा नम्बर 2769 रकबा 5 बिस्वा (0.0632) किस्म बारानी व नम्बर 2770 रकबा 0.02 (0.0253) किस्म गै0मु0 कुआ व 3764/2768 रकबा 0.08. 037) उधोग कुल किता 3 रकबा 0.15–04 (0.1922) (हैक्टयर) स्थित होकर प्रार्थी तेदारी में होकर उपयोग–उपभोग में चली आ रही हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2072 से 2075 की नकल से होती हैं। र सरकार ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार भी आराजी 2768 में से 0.04 (5000 वर्गफीट) तथा आराजी 2769 में से 0.03 बिस्वा (4000 ट) उपयोग में आ रही हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से होती हैं। इस प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से जाहिर है कि विवादित यात में से कुछ भाग आवासीय रूपान्तरण होने के बाद भी बारानी दर्ज रेकार्ड हैं। मौके पर उसका उपयोग–उपभोग आवासीय रूप में किया जा रहा हैं। जबकि पहले वह औधौगिक प्रयोजनार्थ के रूप में थी। इस कारण बारानी के बजाय य दर्ज होनी चाहिये। जिसकी ताईद पेरोकार सरकार द्वारा बनाये गये पर्चा मौका र्ट से होती हैं। इस कारण प्रार्थी अपने राजस्व रेकार्ड में संशोधन कराते हुये नक्शें में भी उसी अनुसार तरमीम भी कराना चाहते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

:: आ दे श ::

प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर ग्राम भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल नम्बर 2769 रकबा 0.05(0.0632) किस्म बारानी के बजाय आवासीय एवं क तथा आराजी नम्बर 3764/2768 रकबा 0.08.04(0.1037) किस्म उधोग के औधौगिक एवं आवासीय राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने व मौका अनुसार नक्शे म किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उसी अनुसार भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज ये नजरी नक्शें में भी मौका स्थिति अनुसार तरमीम की जावें।

(टीना डाबी)
आई. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 29.3.2019 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner